

अंतिम डिक्री मुकदमा इबताई
(रुल्स 18-21)

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

1. किशनलाल पिता शंकरलाल जाति जाट आयु बालिग निवासी नेवरिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

वादी

बनाम

1. शौभालाल पिता शंकरलाल जाति जाट आयु बालिग निवासी नेवरिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. पारस देवी पत्नि कैलाशचन्द्र जाति जाट आयु बालिग निवासी नेवरिया जिला चित्तौड़गढ़ राज0 हाल मुकाम कश्मोर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0
3. नारायणलाल पिता ब्रदीलाल जाति जाट आयु बालिग निवासी नेवरिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. पटवारी पटवार हल्का नेवरिया तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. भूमिधारी तहसीलदार राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :- अधिवक्ता श्री मनोहर गोस्वामी
अधिवक्ता श्री राजमल सुखवाल

वादी।
प्रतिवादी।

--: वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-188 राज0टिनेन्सी एक्ट :-

प्रकरण संख्या :- 027/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रुबरु श्री मनोहर गोस्वामी वकील वादी एवं प्रतिवादी राजमल सुखवाल में मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता हैं एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा नेवरिया पटवार हल्का नेवरिया की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 1865/1 रकबा 0.1080 है0 लगान 3.51 रुपया, का नारायणलाल पिता ब्रदीलाल जाट सा0देह खातेदार, आराजी संख्या 1865/2 रकबा 0.2859 है0 लगान 9.20 रुपया का पारस देवी पत्नी कैलाशचन्द्र जाट हाल निवासी कश्मोर तहसील चित्तौड़गढ़ खातेदार, आराजी संख्या 1865/3 रकबा 0.1969 है0 लगान 6.40 रुपया का किशनलाल पिता शंकरलाल जाट सा0देह खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार



(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी



जमाबंदी में अंकन किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जाएँ। रहन बदस्तुर रखा जाएँ। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। पर्चा अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक **22.02.2024** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दै	रुपये	पैसे	मुदालयत	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		



(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी
राशमी